कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

Email ID- dicdumka12@gmail.com mob.- 8340295608

आज दिनांक 11.06.2019 को 4:00 बजे अप0 में उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्र, दुमका अन्तर्गत Ease of Doing Business के माध्यम से जिला स्तरीय कियान्वयन समिति DEC की बैठक की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य, पदाधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित हुएः–

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, दुमका। – ह0/–
2. उप विकास आयुक्त, दुमका। – ह0/–
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका। – ह0/–
4. महाप्रबंधक–सह–सदस्य सचिव, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका। – ह0/–
5. क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, दुमका। – ह0/–
6. जिला योजना पदाधिकारी दुमका। – ह0/–
7. कार्यालय अभियंता, विद्युत आपूर्ति विभाग, दुमका। – ह0/–
8. उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका। – ह0/–
9. पोडेजोर कलस्टर, सरैयाहाट। – ह0/–
10. प्रबन्धक, ई0ओ0डी0बी0, दुमका। – ह0/–
11. सर्वश्री दुमका फुड प्रा0लि0, दुमका। – ह0/–
12. सर्वश्री श्री श्याम इण्डस्ट्रीज, दुमका। – ह0/–
13. सर्वश्री श्रीश्याम इण्डस्ट्रीज कम्पनी, दुमका। – ह0/–
14. सर्वश्री एन0एस0 पावर, दुमका। – ह0/–
15. अवर निबंधक, दुमका। – ह0/–

बैठक की कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त, दुमका के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं उद्यमियों का परिचय प्राप्त किया गया। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका के द्वारा आज की बैठक हेतु ऐजेन्डा एवं प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, दुमका को उपस्थापित किया। सभी उपस्थित उद्यमियों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से पृच्छा कर कम वार निराकरण किया गया।

आज की बैठक की मुख्य उपलब्धि वर्षों से लंबित मामले सर्वश्री दुमका फुड प्रोडक्ट प्रा0लि0 का लीज निबंधन से संबंधित था, जिसका निराकरण उद्योग सचिव एवं जिला प्रसाशन, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका तथा ई0ओ0डी0बी0 टीम के संयुक्त प्रयास से एक सप्ताह के अन्दर समाधान कर लिया गया। उसी प्रकार सर्वश्री अविनाश एग्रों इण्डस्ट्रीज जिनका विद्युत विभाग में विगत तीन वर्षों से

Scanned by CamScanner

उपर होने पर भी विद्युत केनेक्सन नहीं दिया गया था, का भी सामाधान इस बैठक में किया गया। प्रदूषण विभाग से संबंधित 09 मामले थे, जिसमें 08 मामले का निराकरण जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा कर लिया गया है, जो मुख्यालय स्तर पर लंबित है।

उक्त बैठक में सर्वश्री दुमका फुड प्रोडक्ट प्रा0लि0 के द्वारा स्पीयाडा के माध्यम से प्राप्त भूमि पर सर्वश्री आधुनिक अक्षत उद्योग के द्वारा अवैध कब्जा किये जाने का मामला उठाया गया, जिस पर निर्णय लिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटि गठित किया जाय। जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका एवं स्पीयाडा के प्रतिनिधि सदस्य होगें, को एक सप्ताह के अन्दर जॉच कर प्रतिवेदन उपायुक्त, महोदय को सोपेगें। ई0ओ0डी0बी0 टीम के द्वारा उपस्थित उद्यमियों को ZED निबंधन एवं Ease of Doing Business अन्तर्गत फीड बैक के संबंध में जानकारी दी गयी तथा सुझाव दिया गया कि उद्यमी अपने समस्याओं को अधिक से अधिक सिंगल विण्डों सिस्टम के पोर्टल पर अपलोड करगें ताकि सरकार द्वारा शीघ्र निष्पादन हो सके।

आज की बैठक में जिले में कार्यरत Paver Block के प्रतिनिधि द्वारा सरकारी भवन में Fly Ash Bricks/Paver Block का उपयोग नहीं करने का मामला उठाया गया, जिसपर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा ग्रामीण सडक निर्माण में Paver Block का उपयोग किया जाना है, जिसमें उनके बाजार की समस्या का समाधान हो सकता है। जहॉ तक सरकारी भवन में Fly Ash Bircks उपयोग करने का मामला है, के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जब तक सभी तकनीकी विभाग अपने स्तर से प्राक्कलन में Fly Ash Bricks का समावेश नहीं करेंगे तब तक Fly Ash Bircks का उपयोग संभव प्रतीत नहीं होगा।

अन्त में धन्यबाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

11/6/19 — 11/6/19

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

उप विकास आयुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक 380 दिनांक 21.06.19

प्रतिलिपि– सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/19 — 11/6/19

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

उप विकास आयुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक 380 दिनांक 21.06.19

प्रतिलिपि– निदेशक उद्योग, झारखण्ड, रॉची को सचिव उद्योग का पत्रांक 1052 दिनांक 28.05.2019 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/19 — 11/6/19

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, दुमका।

उप विकास आयुक्त,
दुमका।

Scanned by CamScanner